International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 373-378

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. ऊशा राठौड़*

सार

अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्
एकस्थं तद भून्नारी व्याप्तलोकतयं त्विशा।।
हिंदी अर्थ – सभी देवताओं से उत्पन्न
हुआ और तीनो लोको मे व्याप्त
वह अतुल्य तेज जब एकत्रित
हुआ तब वह नारी बना ।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्यों की पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है ''देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा'' एक बार जब महिला कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढता है, गाँव आगे बढ़ता है। और राष्ट्र विकास की और आगे बढता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के बाबजूद समान शक्तियाँ और भूमिका देती है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका, एक बहुत व्यापक प्रभाव है जो न सिर्फ वोटिंग अधिकार व्ययस्क फ्रैंचाइजी और सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबंधित है भारत में महिलाएँ मतदान मे भाग लेती है। लेकिन भारतीय राजनीत के उच्च राजनीतिक स्वरों के बीच समानता के कुछ अपवादों के अलावा महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। आज हम स्मृतियों से संविधान तक आ गए है। जहाँ कि प्रत्येक क्षेत्रों में पुरुषो के समान अधिकार प्रधान हैं। इन अधिकारों की क्रियान्विति के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। महिलाओं में अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरुकता व राजनैतिक स ाक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए जरूरी है सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना देश निरन्तर विकास के पथ पर प्रगति नही कर सकता। राजनैतिक जागरुकता के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। शिक्षित हो कर ही वे अपनी राजनीति में भागीदारी को बढ़ा पायेगी ।

शब्दकोशः *जागरुकता, सशक्तिकरण, शिक्षित, भागीदारी, सक्रियता, चेतना, वोटिंग अधिकार।*

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानंद ने अपने पुस्तक ''भारतीय नारी'' में बताया है कि हमें स्त्री–पुरुष के भेद का चिन्तन नहीं करना चाहिए बस यह चिन्तन होना चाहिए कि हम सभी मानव है। भारत का उत्थान चाहते हो तो हर स्त्री को शिक्षित करो। उसे भागीदार बनाओ जिससे समाज शिक्षित होगा हम नही भूल सकते मीरा, अहिल्या, सीता झांसी को जिन्होने नारी सशक्तिकरण शुरुवात की।

* सहायक आचार्य, एच.एच. महाराज हनुवन्त सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

महात्मा गाँधी

महिलाएँ परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है घर समाज बनाता है इसका सीधा सीधा अर्थ यही है की महिला का योगदान हर जगह है महिलाओं की क्षमता को नजर अंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश विकास नही हो सकता।

2011 न्ण्छण्ब् . दुनिया के हर हिस्से में महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर हाशिए पर है अक्सर भेद भावपूर्ण कानूनो प्रथाओ, दृष्टिकोण और लिंग रुढियो शिक्षा के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य देख भाल तक पहुँच की कमी और महिलाओं पर गरीबी का अनुपातहीन प्रभाव।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

भारत में महिलाओं की स्थति में सुधार के लिए इनका नाम अग्रणीय है। इन्होंने हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा हो या राजनीतिक हो या समाजिक हो समाज में फैली हुई रूढिवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियॉ दूर करने में अपना योगदान दिया। स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाले ऐसे समाज सुधारक जो भारत में प्रथम स्थान पर आते है। जिन्होने आजीवन महिला उत्थान पर कार्य किया।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

दुनिया भर में हाल के वर्षो में राजनीति में महिलाओं का एक नया आयाम सामने आया है ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ अब राजनीति में प्रवेश कर रही है। महिलाओ की न्यू राजनीतिक सहभागिता– विभिन्न अध्यनो का विषय रही है। क्यों की राजनीति निर्णय निर्माण का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। आजादी के बाद में भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक बढ़िया छलाग लगाई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है। जहाँ सरकार और समाज को बहुत कुछ बदलने और काम करने की जरूरत है। महिला संसद सदस्य और विधान सभा की संख्या अभी भी कम है। लोक सभा में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण के लिए महिला पुनर्वसन विधेयक और राज्य विधान सभाओ में संसद में सभी मुख्य दलो द्वारा आक्रोश देखा गया है। महिला सुरक्षा, महिला शिशुहत्या, क्रम लिंग अनुपात, महिला निरक्षरता, माताओं की उच्च मृत्यू दर और कई अधिक समस्याएं अभी भी 21 वीं सदी के भारत में चिंता है और अब यह महिलाओं को उनके उत्थान के लिए काम करने और भारतीय राजनीति में निर्णयक भागीदारी करने के लिए निर्भर करता है। विश्व स्तर पर अगर भारत की एक्टिव पालिटिक्स में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो भारत 193 देशों में 153 वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर संसद में 22ः फीसदी महिलाओं की भागीदारी है जिसमे भारत का औसत सिर्फ 12ः फिसदी है खांडा 61.3ः वही रवाडा में 3ः महिलाएं सांसद है चीन में 23.6ः वही स्वीडन जहां 47ः महिला सांसद है। पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे आइसलैण्ड ने महिलाओं को बराबरी को दर्जा देने मे लिए कई कदम उठाए आइसलैण्ड की संसद में महिलाओं का प्रतिशत 52ः है। विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर राश्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नही है इस तश्य को संयुक्त राश्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों मे उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया है कि महिला व पुरूश का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है ? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नही है वरन् महिला व्यक्ति के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिलाओं में राजनीति महत्वकांक्षा का होने जरूरी है। राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना प्रतिनिधी के रूप में जनमत का समर्थन।

महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा संसाधान होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार को समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए यह माटलैण्ड द्वारा दिया गया मॉडल हैं।

वर्तमान में भारत की राश्ट्रपति एक महिला है (राश्ट्रपति जी द्रौपदी मूर्मु) जो महिलाओं के लिए बडे गर्व की बात है एवं 11 महिला मंत्री है जो इस प्रकार है –

- निर्मला सीतारमण जी
- स्मृति ईरानी
- साध्वी निरजन ज्योति
- रेणूका सिंह सरूता
- मीनाक्षी लेखी
- शोभा कारदंलजे
- दर्शन जरदोश
- अन्नपूर्णा देवी
- प्रतिभा भौतिका
- भारती पंवार
- अनुप्रीया पटेल

ये महिलाएँ सरकार में अभी अपनी सेवाएँ दे रही है।

73 वा संविधान संशोधन अधिनियम (पंचायत राज के लिए गावों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में वैधानिक प्रावधान) और 74 वा सवैधानिक संशोधन अधिनीयम (शहरी क्षेत्रों में प्रशासानिक संस्थाओं के तीसरे स्तर के लिए वैधानिक प्रावधान जैसे की कस्बों और शहरों के रूप में) दोनों निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते है इसने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को भी जन्म दिया है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर चुने गए सदस्य किसी और व्यक्ति की कठपुतलियों के रूप में सामने आते है। जिससे उन्हें अपने अधिकार के वास्तविक महत्व का एहसास करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। पंचायत के नेताओं के रूप में भारतीय महिलाओं का उदय एक शानदार उपलब्धि है।

राजनीतिक सहभागिता में महिला बाधक तत्व सह में प्राचीन काल में महिलाऍ सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र थी नारी को गृह लक्ष्मी के रूप आदर दिया जाता था। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता था महिलाएँ बाह्य जीवन में भी भाग लेती थी।

महिलाओ के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था यह स्थति उपनिशद्द काल तक जारी थी। इसके बाद आगे चल कर महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे उनकी स्वतंत्रता तथा अधिकार बाधित हुए। इससे समाज में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा महिलाएँ सामाजिक आर्थीक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रो में पुरुष पर आश्रीत होती गयी। महिलाओं को सम्पत्ति मे अधिकार से वंचित कर दिया गया व उन्हे अपवित्र समझा जाने लगा।

मध्यकाल से महालिओं पर प्रति थे परन्तु सबसे अधिक उपनिवेशवाद के समय स्थिति बिगड़ी उस समय सारी कुरूतिया विद्धमान थी कई समाज सुधारक आगे आए जिन्होने महिला सुधार पर कार्य किया।

परन्तु आजादी के बाद हम यह जान गए की जब तक महालाओं का विकास हमारी विकासमुलक रणनीति का अभिन्न अंग नहीं बन जाता, तब तक हमारा राष्ट्र प्रगृति नही कर सकता। इसलिए भारत के संविधान में महिलाओं के गौरव तथा सम्मान की रक्षा के लिए अनेक उपबंध जैसे अनुच्छेद 14, 15(3) 16(1), 2, 19(1), (6) 39 (क) (ड), 42, 44 51(क) का प्रावधान का प्रावधान किया गया है।

''राजनीतिक भागीदारी'' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। यह न केवल मतदान के अधिकार से संबंधित है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीति सक्रियता, राजनीतिक चेतना, आदि से सम्बंधित है परन्तु ये सभी शब्द बस शब्द ही है राजनीति में एक या दो बाधक तत्व नहीं है वरन् अनेक है इनमें राजनीतिक सामाजिक आर्थीक सभी व अन्य। पुरुष कभी भी किसी महिला के पीछे चलने पर असहज महसूस करते हैं। उन्हे शर्म महसूस होती हमने हमारे समाज को पुरुष प्रधान जो बना रखा है।

राजनीति में महिलाओं के लिए बहुत सारे बाधक तत्व है जैसे सामाजिक आर्थीक तत्व, राजनीतिक तत्व जिसमें अनेक ऐसे कारक है जो महिलाओं की भागीदारी को बाधित करते है लगभग सभी देशों की राजनीति ''पुरुष वाली और (डंसम क्वउपदंजमक) कार्य शैली वाली है। तथा महिलाओं की परिस्थितियों और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, दलीय कार्य, निर्वाचन क्षेत्र संसदीय बहस ये सब इतना हो जाता है की महिलाएँ समस्त कार्यों के साथ अपना पारिवारीक तालमेल नहीं बिठा पाती व उसे अपने परिवार से अनुमति लेनी होती है। जो सामान्यतः सरल कार्य नहीं है। महिलाएँ अपने घरेलू काम के बीच राजनीति में एक पुरुष के मुकाबले समय नहीं दे पाती है। और उनके जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है। और यह भी देखा जाता है की महिलाओं को राजनीतिक समझ कम होती है इसलिए अगर वे जीतकर भी आती है तो महिला विभाग, शिशु विभाग जैसे क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है। जिसके अपवाद भी है। हमें यह तस्वीर निराशा जनक दीखती है। शिक्षा व सम्पर्क सुविधाओं में भी महिलाएँ पिछड़ी हुई है। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाने की मांग के पीछे सिर्फ यही सोच नहीं है कि उनकी मौजुदगी बढ़े बल्कि यह भी है कि राजनीतिक विमर्श में उनकी भागीदारी हो जिसमें अवसरवादिता लैगिंक भेदभाव और अति–पुरूशवादी विमर्श हावी है। महिला अधिकारों की बात बहुत सीमित दायरे में होती है।

राजनीतिक परिदृश्या में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 प्रतिशत महिलाएँ सांसद बन पाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद भी आरक्षण की मांग और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है। क्यो की पार्टिया उन्हीं महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट दे रही है जो चर्चित रही हो या जिसकी कोई राजनीतिक विरासत हो अधिकांश पार्टिया अपनी उन महिला कार्यकर्त्ताओ की अनदेखी कर रही है जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अगर महिलाओं को टिकट मिलता भी है तो भी उनकी राह आसान नहीं है पूरे चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न स्तर पर पुरूशों का वर्चस्व है। अगर महिलाएं जित कर राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेती है तो भी यह जरूरी नहीं कि राजनीति में उनकी उल्लेखनीय भागीदारी सुनिश्रित हो जाए। यह बात उन पार्टियों को देखकर पता चलता है जिनकी अध्यक्ष महिलाएं ही है। हालाकि, अध्ययनो में यह बात आई है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की बढी भागीदारी की वजह से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक एजेंडे और गतिविधियों में सुधार आया है। महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत है जो उपनी मांगो को सही ढंग से उठा सकें और नई राजनीति संस्कृति के विकास में अपनी भूमिका निभा सके इन प्रतिनिधीयों को कार्यबल में महिलाओं की धरती भागीदारी और मतदाता सूची में दो करोड़ महिलाओं के नहीं शामिल होने के मुद्दो को उठाना चाहिए। उन्हें महिलाओं के मुद्दो को विस्तार देने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि अलग–अलग पृश्ठ भूमि वाली महिलाओं को आवाज मिले और इससे राजनीति में नई संवेदना विकसित हो। यह जरूरी है कि लोकंतत्र और नारीवाद के मुल्यो में विश्वास पैदा और हिसंक सोच का समर्थन किया जाए। नारीवाद के प्रति सिर्फ बात करने से स्थति नहीं सुधरेगी और न ही इससे रवैये में कोई बदलाव आएगा। महिलाओं की हिस्सेदारी बढने से रवैये में बदलाव तो आएगा लेकिन डर इसी बात का है कि वही राजनीतिक संस्कृति नहीं मजबूत हो जिसने राजनीति में बने रहने के लिए पुरूशों की तरह करने पर जोर होता है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में अगर हम देखे तो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ–साथ कई अच्छे पहलुओं के साथ और अधिक सुधार हो रहा है। भारत सरकार और भारत न्यायपालिए के संचयी प्रयासो के माध्यम से हालिया

सुधार भारतीय ने भारतीय महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है। भारत सरकार की पहल तीन तलाक के खिलाफ, जन धन योजना है महिलाओं के मुफ्त कनेक्शन से महिलाओं को धुए वाली दम घुटने वाले जीवन से मुक्ति काम करने वाली या मातृत्व की हालिया नीतियाँ संत्तारूढ सरकारों और विपक्ष में निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के बिना जमीनी स्तर पर महिलाओं का उत्थान असंम्भव होता।

मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 1980 से 2023 के बीच महिला वोटर्स में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 1980 में महिला वोटर्स की संख्या जहा 51 प्रतिशत थी वही 2014 मे बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई। वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई राजनीतिक परिस्थितियों से सभी बाधाओं और विपक्षों के खिलाफ भारतीय राजनीति व्यवस्था में अंतर्निहित कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। इसी तरह महिलाओ की बिरादरी और महिला सशक्तिकरण नीतियो के प्रति मजबूत समर्थन की आवश्यकता है यह नहीं भूलना चाहिए की पहली बार वर्तमान सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को निर्मला सीतारमणजी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील प्रोफाइल के साथ एक महिला को नियुक्त किया गया।

महिलाओं के लिए राजनीतिक सुधार आर्थीक आतमनिर्भरता बेहतर देखभाल और सुधार शिक्षा शामिल होना चाहिए। हमे एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। जो कि वोट बैंक पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाएं इसलिए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति को दशकों से पल रही कूरीतियों से मुक्त किया जाए। केवल विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से महिलाएँ बैकअप और पितृसत्तात्मक समर्थन से सत्ता में नहीं आती है, लेकिन वास्तव में प्रतिभाशाली और समर्पित महिलाओं को भी भारत की राजनीतिक तस्वीर को बढाने और चमकाने का एक उचित मौका मिलता है।

एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करे तो 1990 से महिला वोटर्स की संख्या मे इजाफा होना शुरू हुआ और 2014 के लोकसभा चुनावो मे अब तक का सबसे अधिक महिला मतदान हुआ, एक्टिव पालिटिक्स में महिलाओं की बूरी स्थती के लिए राजनीतिक पार्टिया ही नही बल्कि हमारा समाज भी जिम्मेदार है जो महिलाओं को राजनीति में स्वीकारने को तैयार नहीं होता है। अगर कोई महिला राजनीति में आती है तो उनके कपड़े से लेकर उनके नैन नक्श पर टिप्पणी की जाती है।

इसलिए वह भारत देश जहाँ

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्रा देवता

जेसे शब्द कहे जाते है उसे वास्तविकता में लाना जरूरी है। तभी लोकतंत्र में महिला एंव पुरुष दोनो को उन्नति के और विकास के समान अवसर मिलेंगे।

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानन्द का मानना है– कि किसी भी शब्द्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहॉ की महिलाओं की स्थिति हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहॉ वे अपनी समस्याओं को अपने ढ़ग से खुद सुलझा सके हमारी भुमिका महिलाओं की जिंदगी में उसका उद्धार करने वाले की न हो कर उसका साथी बनने और सहियोगी की होनी चाहिए क्योकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सके कमी अगर है तो बस इस बात की, हम ऐ समाज के तौर पर उनकी काबलियत पर भरोसा करना सीखे, ऐसा करके ही मह भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे ऐसे में भारतीय राजनैतिक परिवेश में फिलहाल वक्त जो 78 महिला सांसद चुन कर आई है उन्हें देश की अन्य महिलाओं कि आवाज को संसद में मजबूती से उठाना चाहिए इसके साथ ही सालों से सदन में जो महिला आरक्षण बिल लंबित है उनको भी पारित कराने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही महिलाओं से जुड़े समकालीन ज्वलंत मुद्दों को भी मजबूती से रखें तो यह देश कि एक बडे नागरिक वर्ग के साथ न्याय होगा ही साथ ही भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा जो देश और समाज सभी के हित में होगा।

सदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजस्थान पत्रिका बुधवार 16 नवंबर 2022
2. राजस्थान पत्रिका गुरुवार 26 जनवरी 2023
3. राजस्थान पत्रिका शनिवार 28 जनवरी 2023
4. द हिन्दू नई दिल्ली 30 मई, 2019
5. भारतीय समाज में महिलाएँ (नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर)
6. इक्कीसवी सदी की ओर लेखक सुमन कृ ण राजकमल प्रकाशन दिल्ली 2001 ग्प्
7. 7 ग्रामीण विकास समीक्षा, महिला सशक्तिकरण विशेषांक (राजेन्द्र नगर, हैदराबाद 500030 भारत तेलंगाना द्वारा प्रकाशित एक अर्द्ध वार्षिक पत्रिका पृ.सं. 30–33 पृ.सं. 171–173
8. योजना (जून 2012) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

❖◆❖